. निर्णय बईजलास सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 25/अपील(सीलिंग)/14

उनवान

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपहाड़ प्रभारी अधिकारी(अपीलान्ट)

बनाम

01.श्री भवानीआनन्द लिमि0भवानीमण्डी जर्ये

02. काशीप्रसाद नौकिया,डायरेक्टर

03. प्रमोद सहल,डायरेक्टर

04. श्याम नन्दसिंहउ,अधिकृत परसन

रजि0आफिस जयपुरिया हाउस,स्टेशन रोड नवलगढ़ जिला(राज0) (रेस्पोडेन्ट्स)

सम्मानीय उपखण्ड अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग भवानीमण्डी जिला झालावाड के निर्णय दिनांक 22.10.2013 की अप्रसन्नता से राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिकरण अधिनियम 1973 की धारा 23(1) के अन्तर्गत अपील

उपस्थितः- पैरोकार सरकार

:- निर्णय :- दिनांकः 01.10.2019

यह प्रकरण तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी द्वारा मिसल न0 1/सीलिंग/11 निर्णय दिनांक 22.10.2013 से कम्पनी के खाते में स्थित भूमि को अभिधारण योग्य मात्रा से कम माना जाकर पूर्व में जारी ड्राफ्ट स्टेटमेन्ट वापस लेने के आदेश से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है। अपने अपील मेंमों में अंकन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय निर्णय न्याय,विधि एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजी साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अवलोकन किये बिना तथा उसका उचित आशय समझे बिना रेसपोडेन्ट के खाते की भूमि सीलिंग सीमा से कम होना मानते हुए सीलिंग की कार्यवाही ड्राप करने का निर्णय त्रुटीपूर्ण एवं अवैधानिक है। रेसपोडेन्ट के खाते में 250 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है तथा रेसपोडेन्ट केवल मात्र एक यूनिट की भूमि रखने के लिये अधिकृत है इस प्रकार रेसपोडेन्ट के पास 173 बीघा 7 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है जो सरप्लस घोषित होकर अधिग्रहण योग्य है जो सीलिंग सीमा से भूमि होना मानकर प्रकरण ड्राप किया गया है वह अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेसपोडेन्ट को 22 यूनिट भूमि रखने का अधिकारी होना मानकर रेसपोडेन्ट के पास 22 यूनिट से कम भूमि करार देते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय प्रदार किया है जो त्रुटीपूर्ण एव अवैधानिक है। सीलिंग अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.1973 निर्धारित तिथि तय कर रखी है उक्त तिथि तह ही सद्भावी हस्तान्तरण अधिनियम के तहत मान्य है इस स्थिति को नजर अन्दाज करते हुए निर्णय प्रदान किया है सर्वथा त्रुटीपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और ध्यान नही दिया कि दिनांक 01.01.1973 को रेस्पेाडेन्ट कम्पनी के कितने शेयर होल्डर थे ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है, दिनांक 22.09.1973 को 22 शेयर होल्डर होने की सूची रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है केवल कयास के आधार पर दिनाक 01.01.1973 को भी कम्पनी के 22 शेयर होल्डर मानते हुए निर्णय प्रदान किया है जो अवैधानिक है। रेस्पोडेन्ट द्वारा शेयर होल्डर की जो सूची प्रस्तुत की है वह स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा ही तैयार कर प्रस्तुत की गई है जबकि रेस्पोडेन्ट को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिये थी। रेसपोडेन्ट द्वारा शेयर होल्डर की जो सूची प्रस्तुत की है वही सूची भी भवानीआनन्द नवलगढ की शेयर होल्डर की सूची है , जबकि वादग्रस्त भूमि भवानीआनन्द लिमि0 भवानीमण्डी की खातेदारी में दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय को भवानीआनन्द लिमि0 भवानीमण्डी की स्थिति अस्तित्व में भी है या नही इस बाबत सम्पूर्ण साक्ष्य प्राप्त करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और ध्यान नही दिया कि वादग्रस्त भूमि तत्कालीन झालावाड रियासत द्वारा कभी भी मील कायम करने हेतु आवटित नही की है बल्कि उक्त भूमि शोभाराम गम्भीरमल एण्ड कम्पनी इन्दोर की भूमि थी जिसे सूरजमल शिवबक्षराम द्वारा 28.09.1942 को कय की थी और बाद मे उनके द्वारा बाद में भवानीआनन्द लिमि0 के नाम कराली गई, उक्त कम्पनी का अस्तित्व दिनाक 01.01.1973 को कायम था या नही ,ऐसी कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नही है ।

जिला कलक्टर
झालावाड

उक्त भूमि पर कोई मिल कायम भी नही की गई तथा आज भी उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है तथा सीलिंग कानून के अनुसार भवानीआनन्द मिल खातेदार टीनेन्ट है जो केवल मात्र एक यूनिट की भूमि रखने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल एंव उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों का त्रुटीपूर्ण आशय निकालते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय प्रदान किया है जो अवैधानिक है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने व रेस्पोडेन्ट के खाते की 173 बीघा 7 बिस्वा भूमि सीलिंग सरप्लस घोषित करने हेतु निवेदन किया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की और से सुरेश जैन पावर आफ अटार्नी होल्डर भवानीआनन्द प्रा0लि0 की तरफ से अभिभाषक श्री ईश्वर चन्द भटनागर के द्वारा दिनांक 20.08. 2019 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी। पेरोकार सरकार द्वारा अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि कि अधीनस्थ न्यायालय निर्णय न्याय,विधि एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजी साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अवलोकन किये बिना तथा उसका उचित आशय समझे बिना रेस्पोडेन्ट के खाते की भूमि सीलिंग सीमा से कम होना मानते हुए सीलिंग की कार्यवाही ड्राप करने का निर्णय त्रुटीपूर्ण एवं अवैधानिक है। रेस्पोडेन्ट के खाते में 250 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट केवल मात्र एक यूनिट की भूमि रखने के लिये अधिकृत है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के पास 173 बीघा 7 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है जो सरप्लस घोषित होकर अधिग्रहण योग्य है जो सीलिंग सीमा से भूमि होना मानकर प्रकरण ड्राप किया गया है वह अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट को 22 यूनिट भूमि रखने का अधिकारी होना मानकर रेस्पोडेन्ट के पास 22 यूनिट से कम भूमि करार देते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय प्रदार किया है जो त्रुटीपूर्ण एवं अवैधानिक है। सीलिंग अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.1973 निर्धारित तिथि तय कर रखी है उक्त तिथि तक ही सद्भावी हस्तान्तरण अधिनियम के तहत मान्य है इस स्थिति को नजर अन्दाज करते हुए निर्णय प्रदान किया है सर्वथा त्रुटीपूर्ण एवं अवैधानिक है। रेस्पोडेन्ट द्वारा शेयर होल्डर की जो सूची प्रस्तुत की है वह स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा ही तैयार कर प्रस्तुत की गई है जबकि रेस्पोडेन्ट को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और ध्यान नही दिया कि वादग्रस्त भूमि तत्कालीन झालावाड़ रियासत द्वारा कभी भी मील कायम करने हेतु आवटित नही की है बल्कि उक्त भूमि शोभाराम गम्भीरमल एण्ड कम्पनी इन्दोर की भूमि थी जिसे सूरजमल शिवबक्षराम द्वारा 28.09.1942 को क्रय की थी और बाद मे उनके द्वारा बाद में भवानीआनन्द लिमि0 के नाम कराली गई, उक्त कम्पनी का अस्तित्व दिनांक 01.01.1973 को कायम था या नही ,ऐसी कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नही है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल एव उच्च न्यायांलय द्वारा दिये गये निर्णयों का त्रुटीपूर्ण आशय निकालते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय प्रदान किया है जो अवैधानिक है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने व रेस्पोडेन्ट के खाते की 173 बीघा 7 बिस्वा भूमि सीलिंग सरप्लस घोषित करने हेतु निवेदन किया है।

रेस्पोडेन्ट की और से लिखित बहस मे मुख्यतः अकन किया गया किं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एंव तथ्यों पर आधारित है एंव दोनो पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात् कानून की स्थिति का अवलोकन करते हुवे प्रदान किया गया है जिसमे हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नही है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि भवानीआनन्द लिमि0 एक कम्पनी है और JURISTIC PERSON है कोई भी कम्पनी शेयर होल्डर्स के समूह से ही चलती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पृष्ट 03 पर भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में 01.01.1973 की स्थिति के बारे में विचार कर निर्णय दिया है कि उक्त दिनांक को रेस्पो0 कम्पनी के 22 शेयर होल्डर थे,एवं इनके आधार पर पर भूमि का निर्धारण किया गया। कम्पनी के शेयर होल्डर की सूची पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है। तहसीलदार महोदय पचपहाड ने भी अधीनस्थ न्यायालय या श्रीमान के समक्ष रेस्पो0 कम्पनी के शेयर होल्डर के बाबत कोई प्रमाण अथवा खण्डन अथवा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है एवं इस कारण भी कम्पनी द्वारा शेयर होल्डर्स की जो सूची प्रस्तुत की गई है वह साक्ष्य में पढी जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर भी भलिभाति विचार कर निर्णय प्रदान किया है। 1986 आर.आर.डी. पेज 710 में पारित निर्णय के अनुसार भी भवानीआनन्द लिमि0 कम्पनी के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही चलाने का कोई

जिला कलक्टर
झालावाड़

औचित्य नही है। यह निर्णय पिटिशन क्रमांक 43/77 भवानीआनन्द लिमि0 बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू में प्रदान किया गया है, तथा इस निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार अथवा तहसीलदार महोदय पचपहाड ने कोई अपील नही की है तथा यह निर्णय भी अन्तिम हो चुकी है तथा प्रकरण में प्रस्तुतउ राजस्व रेकार्ड में भी कम्पनी बतौर खातेदार अंकित है। कम्पनी का अस्तित्व शेयर होल्डर्स पर निर्भर है तथा सीलिंग कानून 1973 के अनुसार भी प्रत्येक शेयर होल्डर का एक यूनिट होता है तथा प्रत्येक को 48 एकड धारण करने का अधिकार है। इस कारण भी कम्पनी की कोई भूमि अधिग्रहित करने का कोई कानूनी ओचित्य नही है। इस सम्बन्ध में 2002(1)आर.आर.टी. पेज 39 भी इसी सिद्धान्त पर आधारित है तथा मौजूदा प्रकरण के तथ्यों पर पूरी तरह लागू है। अपील खारिज करने का अनुरोध किया है।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। इस प्रकरण के मुख्य विवाद बिन्दु यह हैं कि क्या कम्पनी JURISTIC PERSON है व उस पर पुराना व नया कानून प्रभावशील है या नही ?

प्रकरण के अवलोकन से मुख्यतः यह दर्शित होता है कि तहसीलदार पचपहाड ने राजस्थान सरकार की ओर राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रा0पत्र 28.02.2002 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी खातेदार के अभिधारण में 01.01.1973 को 250 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी व आज भी है और अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई भी खातेदार 48 एकड(76 बीघा 16 बिस्वा)से अधिक भूमि नही रख सकता, 173 बीघा 7 बिस्वा भूमि को सरप्लस घोषित की जाकर राज्य सरकार के खाते दर्ज की जावे। जिस पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रकरण का 17.04.2006 को निरतारण करते हुए 250 बीघा 3 बिस्वा में से 107.10 एकड भूमि को सरप्लस घोषित करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रतिपक्षी ने न्यायालय जिला कलक्टर में अपील दायर की जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.08.2006 से खारिज कर प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय दिनांक 17.04.06 बहाल रखा गया। प्रतिपक्षी ने न्यायालय जिला कलक्टर के निर्णय 30.08.06 के विरूद्ध अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 24.06.09 को आदेश पारित कर प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय दिनांक 17.04.06 व न्यायालय जिला कलक्टर का निर्णय दिनांक 30.08.06 अपास्त कर निर्देश दिये " प्रस्तुत प्रकरण में नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करते समय 01.01.1973 की स्थिति देखी जानी थी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त दिनांक को अपीलान्ट कम्पनी के 22 शेयर होल्डर है और सीलिंग अधिनियम की धारा 5(ई)एवं उसमें दी गई परिभाषा के अनुसार कम्पनी में 01.01.1973 को जितने शेयर होल्डर थे उनके हिस्से का विधिवत् निर्धारण करते हुए कम्पनी की सीलिंग सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिये।" माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्देशों के अनुक्रम में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 14.02.2011 को निर्णय पारित करते हुए पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2006 के अनुसार 48 एकड भूमि कम्पनी के पास छोडते हुए 107.10 एकड भूमि के सरप्लस कर अधिग्रहण के आदेश पारित किये। जिस पर प्रतिपक्षी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 23.08.2011 पारित कर प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय दिनांक 14.02.2011 को अपास्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया " अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत कम्पनी के शेयर होल्डर की सूची की सत्यता के सम्बन्ध में जानकारी कर व अपीलान्ट को भी हिदायत दी जाती है कि यदि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी सन्तुष्टि हेतु अन्य दस्तावेज मांगे जावे तो अपीलान्ट उन्है भी तुरन्त उपलब्ध करावे।" उक्त निर्णय के उपरान्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 1986 आरआरडी 710 एवं 2002(1) आरआरटी 39 में प्रतिपादित सिद्धान्तो की रोशनी में दिनांक 22.10.2013 को निर्णय पारित किया गया, जिसकी अपील तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में हमारे समक्ष कम्पनी के डायरेक्टर द्वारा सर्टीफाईड सत्य प्रति जो दिनांक 22.09.1970 की है जिसमें 22 शेयर होल्डर दर्शित हैं व इसी तरह डायरेक्टर द्वारा सर्टीफाईड सत्य प्रति दिनांक 22.09.1973 की प्रस्तुत की गई जिसमें भी दिनांक 22.09.1970 अनुसार ही वे सभी 22 शेयर होल्डर दर्शित हैं प्रस्तुत की गई। उक्तानुसार कम्पनी के डायरेक्टर द्वारा सर्टीफाईड सत्य प्रति से यह तो स्पष्ट है कि दिनांक 22.09.1970 से दिनांक 22.09.1973 के मध्य वे सभी 22 शेयर होल्डर उक्त कम्पनी में थे, किन्तु प्रस्तुत दोनों

जिला कलक्टर
झालावाड़

सर्टीफाईड सत्य प्रति के कम सं0 11 व 20 पर डा0 राजाराम जयपुरिया व इसी तरह कम सं0 13 व 16 पर मे0 कानपुर बिल्डर्स प्रा0लि0 दर्ज है जो एक ही नाम व पते के अलग–अलग कम पर दर्ज हैं,जिनको पृथक–पृथक यूनिट नही मानकर कम स0 11 व 20 को एक यूनिट तथा 13 व 16 को भी एक यूनिट माना जाकर उक्तानुसार 20 यूनिट धारक जो प्रत्येक यूनिट के हिसाब से (48 एकड़ यानि 76 बीघा 16 बिस्वा रखने के हकदार हैं) यानि 1536 बीघा भूमि अभिधारण योग्य है जबकि कम्पनी के पास 250 बीघा 03 बिस्वा है जो अभिधारण योग्य मात्रा से कम है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भवानीमण्डी द्वारा 22 यूनिट के 1689 बीघा 12 बिस्वा भूमि अभिधारण योग्य माना गया है, चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार अभिधारण योग्य मानी गई भूमि या हमारे द्वारा अभिधारण योग्य मानी गई भूमि से इस प्रकरण पर कोई प्रभाव नही पड़ता है क्यों कि कम्पनी के पास अभिधारण योग्य भूमि से कम भूमि है।

पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया है कि उक्त कम्पनी का अस्तित्व दिनांक 01.01.1973 को कायम था या नही ,ऐसी कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नही है । इस कम में पत्रावली में संलग्न छाया प्रति रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज,राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 2 जनवरी 2002 को जारी FRESH CERTIFICATE OF INCORPORATION CONSEQUENT ON CHANGE OF NAME/STATUS का अंकन किया जाना उचित है " I hereby certify that SHREE BHAWANI ANAND LIMITED which was originally incorporated on 06-07-1943 under the companies act,1956" उक्तानुसार कम्पनीज एक्ट के तहत 163 न0 पर दर्ज होना व श्री भवानीआनन्द लि0 का नाम श्री भवानीआनन्द प्राईवेट लिमि0 रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा नियमानुसार किया जाना तथा उक्त कम्पनी का अस्तित्व 01.01.1973 से पूर्व से होना जाहिर है।

इसी कम में तत्कालिक जिला कलक्टर द्वारा शासन उप सचिव, राजस्व ग्रुप–8 विभाग,जयपुर को लिखे गये पत्र का अंकन किया जाना भी उचित है, कार्यालय के पत्रांक 8855/न्याय/13 दिनांक 18.12.2013 से राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.4(9)राज./ग्रुप–8/2005 जयपुर दिनांक 27.12.2005 के कम में लिखा गया " उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.10.2013 में राजस्व मण्डल द्वारा अभिव्यक्त बिन्दुओं का विवेचन किया गया एंव प्रतिपक्षी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1973 की शेयर धारकों के नामों की सूची का परीक्षण कर रेकार्ड पर लिये जाने योग्य पाया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में उक्त 22 शेयर धाराकों में से प्रत्येक को 1 यूनिट मानते हुए उनके अभिधारण योग्य भूमि की मात्रा 1689 बीघा 12 बिस्वा दर्शित की जबकि कम्पनी के खाते में 250 बीघा 3 बिस्वा भूमि होना पाया गया।
Raj.Imposition of celling on agricultural holding Act 1973 की धारा 5(ई) के अनुसार सीलिंग क्षेत्र के निर्धारण हेतु किसी परिवार/व्यक्ति के उस भाग को भी गिना जावेगा जो किसी फर्म,सोसांईटी,संगम या कम्पनी के द्वारा धारित हो। उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी द्वारा किये गये निर्णय में 22 शेयर धारकों द्वारा कम्पनी में धारित किया जा सकने वाला अधिकतम शेयर गिना जाने पर भी कम्पनी द्वारा धारित भूमि सीलिंग सीमा से कम ही अभिनिर्धारित होती है।
उक्त तथ्यों के आधार पर कनिष्ठ विधि अधिकारी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की राय में उपखण्ड अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी भवानीमण्डी के निर्णय दिनांक 22.10.2013 से अपील किये जाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध नही होते हैं।"

प्रकरण के निस्तारण से पूर्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन कमांक 43/1977 भवानीआनन्द लिमिटेड बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू निर्णय दिनांक 29.07.1986 अंकन करना भी उचित रहेगा जो निम्न प्रकार उद्धत किया है:–

"In the result,all the twowrit petitions No.956/76 and 43/77 are accepted.The judgment of the courts belowand order of the state government are set aside and it is held that the company dose not fall withinthe purview of the ceiling law as it existed under the amending Act of Rajasthan Tenency Act,1955."

जिला कलक्टर
झालावाड़

उपर्युक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित कर दिया कि कम्पनी पर पुराने सीलिंग कानून के प्रावधान लागू नही होते है। इसके अतिरिक्त आरआरटी 2002(1) पेज 39 में राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि

"Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holding Act 1973-secs.4 and 23(2A)- This appeal has been filed against the judgement of Additional Collector Pali(Ceiling) dated 15-6-99 in which he has held that the appellant is one person and is entitled to retain 135 acres land and excess land may be acquired-it was held that the appellant is a company in which there are 30 share holders-Therefore all the thirty persons are separate unit and each unit is entitled to retain 135 acres land-Hence there is no excess land-Hence appeal was allowed on this account also."

यहां माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने दिनांक 24.06.2009 जो अपील सीलिंग 7445/2006/झालावाड़ भवानी आनन्द प्रा0लि0 बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय का अंकन भी करना उपयुक्त है–

" प्रस्तुत प्रकरण में नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करते समय दिनांक 1.1.73 की स्थिति देखी जानी चाहिये थी। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त दिनांक को अपीलान्ट कम्पनी के 22 शेयर होल्डर है और सीलिंग अधिनियम की धारा 5(ई) एवं उसमें दी गई परिभाषा के अनुसार कम्पनी में दिनांक 1.1.73 को जितने शेयर होल्डर थे उनके हिस्से का विधिवत निर्धारण करते हुए कम्पनी की सीलिंग सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिये ।"

उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन कमांक 43/1977 भवानीआनन्द लिमिटेड बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू निर्णय दिनांक 29.07.1986(1986 आरआरडी 710)पेज 38 व 39 में प्रतिपादित सद्धान्तो की रोशनी में विस्तृत विवेचन के साथ प्रकरण का ड्राप किया जाना साबित है जिसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं । उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी का प्रकरण संख्या 1/सीलिंग/11 में दिनांक 22.10. 2013 का निर्णय उचित है । उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार पचपहाड द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती हैं । निर्णय की प्रति तहसीलदार पचपहाड को पालनार्थ भिजवाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़